न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः विकास सीतारामजी भाले, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या — 86/2017 अपील (RCMS/2017/00034)
पंजीयन दिनांक — 04.07.2017
निर्णय दिनांक — 24.12.2019

1. श्रीमती कमला बाई पुत्री श्री नानु जी भील, निवासी ऐराल, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
2. श्रीमती भगवानी बाई पुत्री श्री नानु जी भील, निवासी कसारा खेडी (कारा खेड़ी), तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

—अपीलान्टस्

बनाम

1. श्री परथु पिता श्री जेता जी भील, निवासी पारोली, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
2. ग्राम पंचायत रोलाहेडा जरिये सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत रोलाहेडा, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

—रेस्पोडेन्टस्

उपस्थितिः—
1. श्री संजय सेन — वकील रेस्पोडेंट संख्या—1

प्रकरण संख्या—04/2017, श्रीमती कमला बाई व अन्य बनाम श्री परथु व अन्य में न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.06.2017 के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा—76 भू—राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 24.12.2019

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रकरण संख्या—04/2017, श्रीमती कमला बाई व अन्य बनाम श्री परथु व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 02.06.2017 के विरुद्ध पेश की गई है।

प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है—

- ग्राम पंचायत रोलाहेडा, चित्तौड़गढ़ द्वारा रेस्पोडेंट संख्या—1 के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या—295 दिनांक 08.04.2008 को पारित किया गया।
- उक्त नामान्तरकरण के विरूद्व अपीलार्थी द्वारा एक अपील अन्तर्गत धारा—75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत उक्त नामान्तकरण अवैधानिक है क्योंकि मृतक गोगा बेवा नानु के दो जायन्दा पुत्रियां श्रीमती कमला एवं भगवानी, अपीलार्थीगण है,

जिन्हें उत्तराधिकारी बनाये बिना ही नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया, जो हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के विपरित है। नामान्तकरण में शपथ पत्र पर हक त्याग एवं परथु पिता जेता को तथाकथित मुतबन्ना होना बताया है, का अंकन अवैधानिक होकर मिथ्या है। अपीलार्थीगण मृतका की भूमि पर विरासत से काबिज होकर काश्त कर रही है तथा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत भी वे गोगा की प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी है। ऐसी स्थिति में उक्त नामान्तरकरण निरस्त फरमाया जावें।

- उक्त प्रकरण न्याय आपके द्वार–2017 राजस्व लोक अदालत कैंप कोर्ट रोलाहेडा स्थित अटल सेवों केन्द्र में रखा गया और अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ पारित नामान्तरकरण संख्या–295 में कोई विधिक त्रुटि नहीं होने के स्थिति में निर्णय दिनांक 02.06.2017 से प्रस्तुत अपील खारिज की।

अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित निर्णय 02.06.2017 के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 03.07.2017 को अपील प्रस्तुत की गई। यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। वकील रेस्पोडेंट संख्या–1 उपस्थित जिनकी एकतरफा बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट को निर्णय से पूर्ण लिखित बहस प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया, लिखित बहस दिनांक 20.12.2019 को प्राप्त।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील एवं लिखित बहस में प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थीगण मृतक की जायन्दा पुत्रियां है और उनको उनके विधिक हक से महरूम नहीं किया जा सकता है और विधि भी यह बात स्वीकार करती है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राकृतिक अधिकारों से व विधिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है। अपीलार्थीगण का अपने पिता की सम्पत्ति में विधिक अधिकार निहित है। मृतक गोगा द्वारा रेस्पोडेंट संख्या–1 को सन् 1990 में गोद लिया जबकि अपीलार्थीगण जन्म से ही मृतक गोगा की विरासत की अधिकारी थी। रेस्पोडेंट गोद लिया है, वह सिर्फ उसके हिस्से की सम्पत्ति का ही अधिकारी हो सकता है, न की अपीलान्ट की सम्पत्ति का। गोद पुत्र सपिण्डा नहीं हो सकता है, वह गोद माता–पिता की उत्तराधिकारी हो सकता है, लेकिन पैतृक सम्पत्ति व विरासत से नहीं मांग सकता है, उसका जन्म से उक्त सम्पत्ति में कोई हक, हित व अधिकार नहीं होता है, गोद दिनांक से अधिकारी होगा इसलिए जिस दिनांक को रेस्पोडेंट संख्या–1 को मृतक गोगा द्वारा गोद लिया गया है तो उस दिनांक को वह तथा उसकी पुत्रियां एवं वह स्वयं उसकी विरासत में बराबर के हिस्से व हकदार हो जाते है, न कि गोदपुत्र सपिण्डा नहीं होता है अर्थात मौरूसी सम्पत्ति का अधिकारी नहीं होता है, वह सिर्फ गोद पिता की सम्पत्ति का अधिकारी होता है, इसलिए मृतक गोगा की सम्पत्ति में रेस्पोडेंट संख्या–1 के साथ अपीलान्ट का भी बराबर हक हिस्सा निहित है। जिस तथाकथित हक त्याग का वर्णन किया गया है, वह विलेख रेकार्ड पर नहीं है व न ही कभी निष्पादित किया गया है। ऐसी स्थिति में अपील स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या–295 एवं अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 02.06.

2017 अपास्त एवं निरस्त फरमाया जावें। अपने कथन के समर्थन में योग्य अधिवक्ता द्वारा न्यायिक दृष्टान्त (RRT 2017(2) P. 986, RRT 2012(2) P. 850, RRT 2013(2) P. 766, RRT 2011(1) P. 432) प्रस्तुत किए गए।

विद्वान वकील रेस्पोडेंट संख्या–1 ने बहस में प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थीगण अनुसूचित जाति से होकर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–2(2) के अन्तर्गत यह प्रावधान उन पर लागु नहीं होते है। अपीलार्थीगण द्वारा जरिये शपथ पत्र एवं हक त्याग से अपने अपने हिस्से का हक त्याग परथु के पक्ष में करने का उल्लेख किया है जिससे अपीलार्थी अब बदल नहीं सकते है। प्रकरण में गोदनामा पंजीकृत है जिससे कभी भी चुनौती नहीं दी गई। ग्राम पंचायत द्वारा पूर्ण जांच उपरान्त प्रश्नगत नामान्तरकरण तस्दीक किया गया। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सभी तथ्यों एवं दस्तावेजों एवं नियमों की विवेचना करते हुए निर्णय पारित किया है, जो पूर्णतया विधिक होने से अपील अपीलान्ट निरस्त फरमाई जावें।

हमने उपस्थित अधिवक्ताआ की बहस, प्रस्तुत लिखित बहस एवं प्रस्तुत दस्तावेजों पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं न्यायालय हाजा की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं प्रकट विभिन्न तथ्यों का गहनता से अध्ययन किया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से यह प्रकट होता है कि प्रकरण राजस्व कैम्प में रखे जाने पूर्व पक्षकारों को सूचित किया गया जिसके साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर मौजूद है।

प्रकरण में यह तथ्य निर्विवादित है कि पंजीकृत गोदनामा के अनुसार गोगा बेवा नानु भील ने परथु पिता जेता को गोदपुत्र में रखा। अपीलार्थीया श्रीमती कमला एवं भगवानी देवी श्री नानु भील की जायन्दा पुत्रियां है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर श्रीमती भगवानी का शपथ पत्र एवं श्रीमती कमला पुत्री स्व. श्री नानु भील द्वारा श्री परथु के पक्ष के किए गए हक त्याग की प्रति उपलब्ध है, जिसके अनुसार दोनों द्वारा अपना हिस्सा अपने भाई परथु को दिये जाने का उल्लेख किया और अनापत्ति प्रदान की। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के अनसुार भूमि के हस्तांतरण एवं हक त्याग के पश्चात उसको मना किये जाने का कोई प्रभाव नहीं है। न ही मना कर सकता है, न ही ऐसा करने का अधिकार है। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा कथित हक त्याग विलेख के निष्पादन नहीं किये जाने का कथन किया, यदि कथित हक त्याग विलेख निष्पादित नहीं किया गया है, तो अपीलार्थी द्वारा इस सम्बन्ध में कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए। परन्तु अपीलार्थी द्वारा इस सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए है। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त दस्तावेजों आधार पर आलौच्य नामान्तरकरण संख्या 295 दिनांक 08.04.2008 को पारित किया गया, जिसका अंकन नामान्तरकरण पर किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा विवादित नामान्तरकरण जांच उपरान्त एवं विधिक रूप से पारित किया गया।

उल्लेखनीय है कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा 2 उपधारा (2) के अनुसार उक्त अधिनियम अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्य पर लागू नहीं होती

है। प्रश्नगत प्रकरण में अपीलार्थी एवं रेस्पोडेंट संख्या–1 अनुसूचित जनजाति के सदस्य होने से हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम हस्तगत प्रकरण में लागू नहीं होते है।

अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत नजीरें के अवलोकन एवं सम्मान अध्ययन से नजीरे प्रकरण से सुंसगत होकर चस्पा नहीं होती है।

प्रश्नगत अपील में अपीलार्थी अपने कथनों के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा तथ्यों एवं दस्तावेजों पर पूर्ण विचार उपरान्त पारित निर्णय दिनांक 02.06.2017 विधिसम्मत प्रतीत होता है, जिसमें हम कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

अतः उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.06.2017 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ निर्णय की प्रति प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 24.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास सीतारामजी भाले)
संभागीय आयुक्त, उदयपुर